I/5617/2022

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31/3/2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च,2022 तिमाही की बैठक दिनांक 31/03/2022 को माननीय सदस्य (समन्वय),गंगा बाढ नियंत्रण आयोग श्री सी. के. एल. दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। निदेशक (मा.एस.प्र.) आर. के. सिंह के स्वागत संबोधन के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्रवाई आरंभ की गई।

अध्यक्ष का संबोधनः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदस्य (समन्वय),गंगा बाढ नियंत्रण आयोग श्री सी. के. एल. दास ने राजभाषा के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने से हम सम्पूर्ण भारत वर्ष को एक सूत्र में बांध सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी की गरिमा को बनाए रखने और इसे विश्व व्यापी बनाने में हम सभी की अहम भूमिका होनी चाहिए।हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दी का कार्यान्वयन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसका निर्वहन करने के लिए हमे सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने अभिभाषण के अंत में उन्होंने कहा कि कार्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ हिन्दी मे किया किया जाना चाहिए।

कार्यसची पर विचारः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय,राजभाषा विभाग दवारा जारी मानक कार्यसूची के अनुरूप चर्चा की गई एवं दिसंबर ,2021 की तिमाही में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा से संबंधित ब्यौरा एवं लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं-

1. **धारा3(3) का अनुपालनः** दिसंबर, 2021 तिमाही में कुल 91 कार्यालय आदेश जारी हुए थे जिसमें सभी 91 कार्यालय आदेश द्विभाषी में जारी किए गए थे।

2. **हिंदी में मूल पत्राचारः** दिसंबर,2021 तिमाही के दौरान मूल पत्राचार की संख्या 242 है और जिसमें से 219 पत्रों के जवाब हिंदी में जारी किए गए हैं,शेष 23 पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिए गए। मूल पत्राचार अंग्रेजी में जारी करने वाले अनुभाग को हिंदी में मूल पत्राचार जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)

3. **हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तरः**

दिसम्बर तिमाही में हिंदी में प्राप्त कुल 301 मे से 105 पत्रों के जवाब हिंदी में दिए गए हैं।शेष 196 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर देने का कार्य लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत है।

4. **हिंदी में टिप्पणीः**

दिसंबर 2021, तिमाही के दौरान कुल 526 टिप्पणी पृष्ठों में से 455 टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखी गई। हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत 86.65% है जो कि निर्धारित लक्ष्य 75 प्रतिशत से अधिक है।

5. **वेबसाइट का द्विभाषीकरणः** वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी एवं अद्यतन बनाने का कार्य अन्तिम चरण मे है। आशा है यथाशीघ्र आयोग कार्यालय का द्विभाषी वेबसाइट अद्यतन स्थिति मे उपलब्ध होगा।

6. **राजभाषा निरीक्षणः** सहायक निदेशक/राजभाषा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपूर्ति आदेश सिर्फ अँग्रेजी में ही प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसका हिन्दी अनुवाद करके संबन्धित क्रय अनुभाग को दे दिया गया है।आपूर्ति आदेश में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया।

(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)

7. **कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा** - सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।आयोग कार्यालय के सभी कार्मिकों से कंप्यूटर पर हिंदी में शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
8. **पुस्तकालय**- सहायक निदेशक/राजभाषा ने जानकारी देते हुए कहा कि हिन्दी अनुभाग मे हिंदी की बहुमूल्य एवं ज्ञानवर्धक पुस्तके एवं पत्र -पत्रिकाए कार्मिको के लिए उपलब्ध है। समिति द्वारा पुस्तकालय हेतु नवीनतम फर्निचर की खरीद की प्रक्रिया यथाशीघ्र संपादित करने पर विचार किया गया।

(कार्रवाई- सहायक निदेशक-II/क्रय अनुभाग)

9. **कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी** :- राजभाषा अधिकारी ने कहा कि एमपी 1 निदेशालय से कोड /मैनुवल की एक प्रति उपलब्ध कराया गया है जो सिर्फ अँग्रेजी में है, यथाशीघ्र उसे द्विभाषी कर लिया जाएगा। अन्य निदेशालय/अनुभाग प्रभारी से भी निवेदन किया गया कि यदि कोई भी कोड/ मैनुवल सिर्फ अँग्रेजी में हो तो राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करा दे ताकि यथाशीघ्र उसे द्विभाषी किया जा सके। **(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा, सभी संबंधित अधिकारी)**

10. **सदस्यों के विचार:**

निदेशक(मा.स.प्र.)- निदेशक/मा.सं.प्र. ने कहा कि कि हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र मे आता है, अतः हमें हिन्दी मे कार्य कुशलता को बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए,ताकि आयोग कार्यालय में राजभाषा के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत हिन्दी में कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

उप निदेशक/मा.सं.प्र.- उप निदेशक/मा.सं.प्र. ने कहा कि आयोग कार्यालय को हिन्दी मे प्रशंसनीय कार्य करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व सम्मानित किया गया था, इसलिए इस सम्मान के मान को बनाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।इसलिए आप सभी से हिन्दी मे कार्य की और अधिक अपेक्षा है,ताकि यह सम्मान आयोग कार्यालय को वर्ष प्रति वर्ष मिलता रहे।

उप निदेशक/समन्वय- उप निदेशक/समन्वय ने आयोग कार्यालय के वेबसाइट के संबंध मे जानकारी देते हुए कहा कि द्विभाषी वेबसाइट का कार्य अंतिम चरण में है,यथाशीघ्र सबके प्रयास से इसे पूरा कर लिया जाएगा।

11. **राजभाषा संगोष्ठी:** बैठक के अंत मे सदस्य/समन्वय श्री चन्द्र कुमार लाल दास की अध्यक्षता में **"विश्व शांति के कारगर उपाय"** विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया,जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार अभिव्यक्त कर संगोष्ठी को सफल बनाया।

सगोष्ठी के उपरांत अंत में सहायक निदेशक/राजभाषा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक एवं संगोष्ठी की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:

सदस्य(समन्वय),निदेशक/मा.सं.प्र,निदेशक(समन्वय),उपनिदेशक/मा.स.प्र.,उपनिदेशक/(एम.पी.-I), उपनिदेशक/(एम.पी.-I),उपनिदेशक(समन्वय),उपनिदेशक/(एम.पी.-II),सहायकनिदेशक/एम.पी.-II, सहायकनिदेशक(राजभाषा),प्रशासनिकअधिकारी,सहायक निदेशक-II,कनिष्ठ अभियंता,कनिष्ठ अनुवादक,प्रधान लिपिक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.12.2021 को आयोजित

बैठक का कार्यवृत्त

गंगा बाढ नियंत्रण आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर,2021 तिमाही की बैठक दिनांक **28.12.2021** को माननीय अध्यक्ष,गंगा बाढ नियंत्रण आयोग श्री मंजीत सिंह दिल्लों की अध्यक्षता में आयोजित की गई । कार्यालय प्रधान श्री कुमार कुशल जी के स्वागत संबोधन के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्रवाई आरंभ की गई।

अध्यक्ष का संबोधनः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष,गंगा बाढ नियंत्रण आयोग श्री मंजीत सिंह दिल्लों ने राजभाषा के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि कार्यालय में हमेशा हिंदी के सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी को हमारे संविधान ने अंगीकार किया है, इस उद्देश्य से उसकी महत्ता को बनाये रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसका निर्वहन करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। हिंदी भाषा के माध्यम से ही सम्पूर्ण भारत में संपर्क संभव हैं। अपने अभिभाषण के अंत में उन्होंने कहा कि आयोग कार्यालय में अधिकतर कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं,तथापि अभी भी सुधार की गुंजाइश है।

कार्यसूची पर विचारः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय,राजभाषा विभाग द्वारा जारी मानक कार्यसूची के अनुरूप चर्चा की गई एवं सितम्बर,2021 की तिमाही में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा से संबंधित ब्यौरा एवं लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं-

1. **धारा3(3) का अनुपालनः** सितम्बर,2021 तिमाही में कुल **146** कार्यालय आदेश जारी हुए थे जिसमें **145** द्विभाषी में जारी किए गए थे,शेष **01** पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए थे।कार्यालय आदेश अंग्रेजी में जारी करने वाले संबंधित अनुभाग को आवश्यक सुधार हेतु निर्देश देने को कहा गया। **(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा एवं संबंधित अधिकारी)**
2. **हिंदी में मूल पत्राचारः** सितम्बर,2021 तिमाही के दौरान मूल पत्राचार की संख्या **268** है और जिसमें से **251** पत्रों के जवाब हिंदी में जारी किए गए हैं,शेष **17** पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिए गए। इस संबंध में निदेशक/एम.पी.-II ने कहा कि मूल पत्राचार अंग्रेजी में जारी करने वाले अनुभाग को हिंदी में जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाय।

(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा, सभी संबंधित अधिकारी)

3. **हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तरः**

सितम्बर तिमाही में हिंदी में प्राप्त कुल **429** में से **264** पत्रों के जवाब हिंदी में दिए गए हैं।शेष **165** पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर देने का कार्य लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत है।

4. **हिंदी में टिप्पणीः**

सितम्बर तिमाही के दौरान कुल 1100 टिप्पणी पृष्ठों में से **890** टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखी गई। हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत **80.90%** है जो कि निर्धारित लक्ष्य **75** प्रतिशत से अधिक है।

5. **वेबसाइट का द्विभाषीकरणः** वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी एवं अद्यतन बनाने के लिए विभागीय स्तर पर एवं एनआईसी द्वारा कार्य किया जा रहा है।
6. **राजभाषा निरीक्षणः** एमएनपी संबंधी स्टाम्प को द्विभाषी बनाने तथा दौरा कार्यक्रम से संबंधित बिल के लिए अंग्रेजी के बजाय हिंदी फॉर्मेट का प्रयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही सभी नियंत्रण अधिकारी से आग्रह किया गया कि प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ अनुभाग का निरीक्षण करते समय राजभाषा संबंधी निरीक्षण भी करें एवं राजभाषा अनुभाग को स्थिति से अवगत कराएं ताकि अपेक्षित सुधार किया जा सके।

(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)

कार्यसूची पर विचार के उपरांत अंत में सहायक निदेशक/राजभाषा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:

अधयक्ष,निदेशक(समन्वय),निदेशक(एम.पी.-2),उपनिदेशक/मा.सं.प्र.,उपनिदेशक/(एम.पी.-I),उपनिदेशक(समन्वय),उपनिदेशक/(एम.पी.-II),सहायकनिदेशक/एम.पी.-II,सहायकनिदेशक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी, सहायक निदेशक-II,

7. **कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा** - सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।

8. **पुस्तकालय**- सहायक निदेशक/राजभाषा ने बताया कि पुस्तकालय के लिए नवीनतम हिंदी पुस्तकें कार्मिकों के लिए उपलब्ध है। वित्त वर्ष **21-22** के लिए भी हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु प्रक्रिया जारी है। सभी अधिकारियों से आग्रह भी किया गया कि पुस्तकालय हेतु अपनी अभिरूची एवं आवश्यकता के अनुरूप पुस्तक-सूची राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करावा दें ताकि उसे पुस्तक खरीद की सूची में शामिल किया जा सके।

पुस्तकालय प्रभारी आगामी फरवरी,2022 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं,इसलिए किसी दूसरे कर्मी को पुस्तकालय प्रभारी बनाने तथा पुस्तकालय हेतु नवीनतम फर्निचर की खरीद पर भी विचार किया गया।

9. **कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना**: आयोग के द्विभाषी हेतु शेष कोड/मैनुअल को द्विभाषी बनाने के लिए हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो,नई दिल्ली भेजने पर विचार किया गया। सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया कि जिनके पास भी कोड/मैनुअल की अंग्रेजी प्रति उपलब्ध हो वे राजभाषा अनुभाग के पास यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दें ताकि यथाशीघ्र उसका द्विभाषीकरण किया जा सके। **(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा, सभी संबंधित अधिकारी)**

10. **सदस्यों के विचार**:

निदेशक/एम.पी.-II-

1.पुस्तकालय के लिए ई-पुस्तकों की खरीद की जाय।

2.दौरा कार्यक्रम को हिंदी में करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें तथा उक्त से संबंधित आवश्यक सहयोग भी प्रदान करें।

उपनिदेशक/मा.सं.प्र.-

1. पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की हार्ड कॉपी की भी खरीद की जाय।

(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा, सभी संबंधित अधिकारी)

5. **वेबसाइट का द्विभाषीकरण:** वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी एवं अद्यतन बनाने के लिए विभागीय स्तर पर एवं एनआईसी द्वारा कार्य किया जा रहा है।
6. **राजभाषा निरीक्षण:** सभी नियंत्रण अधिकारी से आग्रह किया गया कि प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ अनुभाग का निरीक्षण करते समय राजभाषा संबंधी निरीक्षण भी करें एवं राजभाषा अनुभाग को स्थिति से अवगत कराएं ताकि अपेक्षित सुधार किया जा सके।

(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)

7. **कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा** – सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।
8. **पुस्तकालय-** सहायक निदेशक/राजभाषा ने बताया कि पुस्तकालय के लिए नवीनतम हिंदी पुस्तके कार्मिकों के लिए उपलब्ध है। वित्त वर्ष 21-22 के लिए भी हिंदी पत्र-पत्रिकाएं एवं पुस्तकों की खरीद हेतु प्रक्रिया जारी है। सभी अधिकारियों से आग्रह भी किया गया कि पुस्तकालय हेतु अपनी अभिरुची एवं आवश्यकता के अनुरूप पुस्तक-सूची राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करावा दें ताकि उसे पुस्तक खरीद की सूची में शामिल किया जा सके।
9. **कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना:** आयोग के द्विभाषी हेतु शेष कोड/मैनुअल को द्विभाषी बनाने के लिए हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो,नई दिल्ली भेजने पर विचार किया गया। सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया कि जिनके पास भी कोड/मैनुअल की अंग्रेजी प्रति उपलब्ध हो वे राजभाषा अनुभाग के पास यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दें ताकि यथाशीध्र उसका द्विभाषीकरण किया जा सके।

(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा, सभी संबंधित अधिकारी)

कार्यसूची पर विचार के उपरांत अंत में सहायक निदेशक/राजभाषा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:

सदस्य(सामन्वय),निदेशक(सामन्वय),निदेशक(एम.पी.-1),निदेशक(एम.पी.-2,उपनिदेशक/ मा.सं.प्र.,उप निदेशक/(एम.पी.-1),उपनिदेशक(सामन्वय),उपनिदेशक/(एम.पी.-II),सहायक निदेशक/ एम.पी.-II, सहायक निदेशक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी, सहायक निदेशक-II,प्रधान लिपिक(सामान्य)।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 04.03.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

गंगा बाढ नियंत्रण आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर,2020 तिमाही की बैठक दिनांक **04.03.2021** को माननीय अध्यक्ष,गंगा बाढ नियंत्रण आयोग श्री मंजित सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक के आरंभ होने से पहले हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु को उनके जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर स्मरण किया गया। रेणु जयंती मनाने के क्रम में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा रेणु जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। सभा में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भी महान कथाकार रेणु जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया,साथ ही सारगर्भित उद्गार भी व्यक्त किए गए। रेणु जयंती के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्रवाई आरंभ की गई।

अध्यक्ष का संबोधनः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष श्री मंजित सिंह ढिल्लों ने रेणु जी को स्मरण करते हुए कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अद्वितीय योगदान दिया है। राजभाषा के संबंध में अपनी बात रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भारत विविध भाषाओं का देश है किन्तु भारत की समस्त भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक सक्षम और समर्थ भाषा है।एतएव हिंदी भाषा को सीखने एवं उसका प्रयोग करने से हम सम्पूर्ण भारत वर्ष को एक सूत्र में बांध सकते हैं। साथ ही राजभाषा हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। इसका निर्वहन करने के लिए हमे सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग कार्यालय में अधिकतर कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं,तथापि अभी भी सुधार की गुंजाइश है।

कार्यसूची पर विचारः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय,राजभाषा विभाग दवारा जारी मानक कार्यसूची के अनुरूप चर्चा की गई एवं दिसम्बर,2020 की तिमाही में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा से संबंधित ब्यौरा एवं लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं-

1. **धारा3(3) का अनुपालनः** दिसम्बर,2020 तिमाही में कुल 92 कार्यालय आदेश जारी हुए थे और सभी कार्यालय आदेश द्विभाषी में जारी किए गए थे।
2. **हिंदी में मूल पत्राचारः** दिसम्बर,2020 तिमाही के दौरान मूल पत्राचार की संख्या 117 है और जिसमे से 114 पत्रों के जवाब हिंदी में जारी किए गए हैं,शेष 3 पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिए गए।
3. **हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तरः**

   दिसम्बर तिमाही में हिंदी में प्राप्त कुल 356 में से 170 पत्रो के जवाब हिंदी में दिए गए हैं।शेष 186 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर देने का कार्य लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत है।
4. **हिंदी में टिप्पणीः**

   दिसम्बर तिमाही के दौरान कुल 2761 टिप्पणियों में से 2360 टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई। हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत 85 है जो कि निर्धारित लक्ष्य 75 प्रतिशत से अधिक है।

5. **वेबसाइट का द्विभाषीकरणः** वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी एवं अद्यतन बनाने के लिए एनआईसी को कार्यभार दिया गया है।
6. **राजभाषा निरीक्षणः** सहायक निदेशक/राजभाषा ने कहा कि पिछले माह के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण में यह पाया गया कि अधिकतर कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं ,तथापि इस स्थिति में और सुधार की आवश्यकता है। **(कार्रवाई- सभी संबंधित अधिकारी)**

7. **कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा** – सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।
8. **पुस्तकालय-** सहायक निदेशक/राजभाषा ने कहा कि पुस्तकालय के लिए नवीनतम हिंदी पुस्तकें इस माह में आ जाएंगी। पुस्तके आ जाने के उपरांत पिछली बैठक के निर्णयानुसार सभाकक्ष को पुस्तकालय के रूप में नवीनतम स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।

(कार्रवाई- पुस्तकाध्यक्ष, सनि/राज. एवं उपनि./मा.सं.प्र.)

9. **कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनानाः** आयोग के सभी कोड/मैनुअल को द्विभाषी बनाने के लिए हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो,नई दिल्ली भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया कि जिनके पास भी कोड/मैनुअल की प्रति उपलब्ध हो वे राजभाषा अनुभाग के पास यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दें। **(कार्रवाई- सहायक निदेशक/राजभाषा/ सभी संबंधित अधिकारी)**

कार्यसूची पर विचार के उपरांत अंत में सहायक निदेशक/राजभाषा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

अध्यक्ष/ गंगा बाढ नियंत्रण आयोग,सदस्य(समन्वय),निदेशक(यो.एवंस.),निदेशक(एम.पी.-1), निदेशक(एम.पी.-2, उपनिदेशक/मा.सं.प्र.,उप निदेशक/(एम.पी.-1),उप निदेशक(योजना एवं समन्वय), सहायक निदेशक/एम.पी.-2, सहायक निदेशक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,प्रधान लिपिक(सामान्य)।